न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/168)

1. राम गोपाल पुत्र श्री रामदेव राम जाति बलाई, निवासी ग्राम बढाढर, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. भूमि धारक जरिये तहसीलदार धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर तहसील राजस्थान सरकार जरिये

——रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मुकाम कैम्प बढाढर निर्णय दिनांक 20.10.2021 प्रकरण संख्या निल/2021 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार धोद बनाम रामगोपाल व अन्य के विरूद्ध

उपस्थित :–

1. श्री हरलाल सिंह, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 22.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 20.10.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 18.04.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार धोद, जिला सीकर द्वारा दिनांक 20.10.2021 को प्रस्ताव बाबत प्रचलित सार्वजनिक चालू स्थाई रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ ग्राम भढाढर, तहसील धोद के आराजी खसरा नम्बर 343, 342, 925/347, 1054/340, 1055/340 व 350 कुल किता 6 में से मौके पर चालू स्थाई रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी धोद , जिला सीकर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर ने तहसीलदार धोद के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 20.10.2021 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 343, 342, 925/347, 1054/340, 1055/340 व 350 कुल किता–6 मौके पर सार्वजनिक चालू स्थाई रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 पारित किये गये हैं।
3. उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 20.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट राम गोपाल पुत्र श्री रामदेव राम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 20.10.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1040/340 रकबा 0.7650 में से 300 वर्गमीटर भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अंकित करने का आदेश प्रदान कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत जाकर तहसीलदार जी की मनगढन्त रिपोर्ट व राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्तियों ने मिली भगत कर नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी की कब्जे व खातेदारी की भूमि में से मौके पर बिना कोई प्रचलित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रास्ता हुये अपीलार्थी की भूमि में से रास्ते के रूप में रकबा दर्ज करने के आदेश पारित कर रास्ता कायम किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक आदेश पारित नहीं किया जा सकता, जब तक की उसे सुनवाई हेतू अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता। मौजूदा प्रकरण में अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1055/340 रकबा 0.7650 हैक्टेयर में से 300 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में अंकित करने के आदेश प्रदान कर दिये। अपीलार्थी उपरोक्त भूमि का रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकोर्ड में उपरोक्तानुसार भूमि उनके नाम अंकित है। भूमि पर उनका कब्जा है, तथा भूमि का वो उपयोग व उपभोग करते है, उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थी की फसल खड़ी है, इसके बावजूद उक्त भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार धोद द्वारा जो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी, वो किसी विधिक आधार पर आधारित नहीं थी, बल्कि राजनैतिक व्यक्ति के प्रभाव में आकर झूठी रिपोर्ट हल्का पटवारी व तहसीलदार से बनवाई थी तथा सरपंच ग्राम पंचायत बढाढर, सरपंच के हस्तक्षेप से व प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर उपखण्ड अधिकारी घोद से प्रशासन गांवों के संग कैम्प ग्राम पंचायत बढाढर में अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। जबकि नक्शे में जो रास्ता दर्शाया गया है, वहां मौके पर कोई रास्ता नहीं रहा, ना ही मौके पर आज कायम है। जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अंकन करते हुए उसके अनुसार निर्णय पारित किया है, जबकि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में कहीं भी यह अंकन नहीं है कि प्रभावित खातेदार को बिना सुने तथा मौके पर बिना कोई रास्ता पूर्व में प्रचलित हुये बिना नया रास्ता कायम करने का कोई प्रावधान नहीं है तथा उक्त सकुर्लर इस आशय से जारी किया गया था कि कोई पुराना प्रचलित रास्ता जो कई ढाणीयों को जोड़ता हुआ, तथा एक गांव से दूसरे गांव को जोडता हुआ उसी रास्ते को प्रचलित रास्ता माना गया था. लेकिन उक्त अधिसूचना पत्र को पूर्णतया नजरअन्दाज कर निर्णय पारित किया है तथा राज्य सरकार के उपरोक्त परिपत्र में अंकित तथ्यों व कानूनी स्थिति को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि भूमि खसरा नम्बर 1054/340 में से 300 वर्गमीटर भूमि को किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से जहां वर्तमान में रास्ता दर्शाया गया है वहां कभी कोई रास्ता नहीं रहा। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायलय ने उक्त तथ्य को पूर्णतया नजर अन्दाज कर एक नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर दिये है, जो पूर्णतया औचित्यहीन है। जिसका केवल मात्र उद्देश्य अपीलार्थी की भूमि में से राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अपीलार्थी की खातेदार को समाप्त करना है तथा हल्का पटवारी व सरपंच ग्राम पंचायत बढाढर, दोनो की मिली भगत से खसरा नम्बर 338 में जाने के लिए बिना किसी आधार पर रास्ता कायम करने के आदेश पारित करवाये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य नहीं थी, जिससे लेसमात्र भी यह प्रमाणित हो कि मौके पर पूर्व से कोई रास्ता प्रचलित रहा हो या वर्तमान में कोई रास्ता आवागमन के रूप में काम आ रहा हो। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से नया रास्ता कायम कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का कोई अवलोकन नहीं किया, जिसमें दिनांक 15.12.2016 के बाद उक्त परिपत्र के आधार पर किसी तरह का कोई रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है तथा इसमें यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अन्य खातेदार को किसी खेत में से होकर नया रास्ता कायम करवाना हो तो उसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विधि अनुसार सुनवाई की जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जावेगा। उपरोक्त प्रावधानों के अवहेलना कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि उक्त अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58ए के तहत कोई रिपोर्ट तैयार की जावेगी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तो उसकी प्रति संबंधित खातेदार को दी जावेगी तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही निर्णय पारित किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा प्रकरण में हल्का पटवारी व सरपंच ग्राम पंचायत बढाढर, व तहसीलदार धोद ने आपसी मिली भगत से उपखण्ड अधिकारी धोद, द्वारा उपरोक्त विधिक प्रावधानों को नजर अन्दाज कर अपीलार्थी को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। परिपत्र के अनुसार जब तक मूल अधिनियम में परिवर्तन ना हो तब तक उस परिपत्र के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कि जिस पहलू पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई विचार ना कर निर्णय देने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी की भूमि में से जहां रास्ता कायम किया गया है। वहां अपीलार्थी की फसल खड़ी है, एवं कभी कोई रास्ता न है, न कभी कोई सार्वजनिक रास्ता रहा है। सार्वजनिक रास्ता वह रास्ता होता है जो बारह मासी हो, तथा मौसम ऋतु के अनुसार बदलता नहीं हो, लेकिन अधिनस्थ न्यायलय ने कोई मौका न देखकर अपना निर्णय देने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वो निर्णय की परिधि में नहीं आता है। कि अपीलार्थी ने दिनांक 30.11.2022 को उपरोक्त प्रकरण की जानकारी होने पर उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तथा निवेदन किया कि अपीलार्थी की भूमि में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है, इस पर उपखण्ड अधिकारी धोद ने तहसीलदार सीकर ग्रामीण को दिनांक 08.12.2022 को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण की जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा कोई जॉच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को नहीं भेजी गई तथा ना ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई, इसलिए अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपलील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थी द्वारा एक परिवाद भी दिनांक 19.12.2022 को थानाधिकारी सदर सीकर को भिजवाया जाकर यह निवेदन किया कि अपीलार्थी की भूमि खरारा हनम्बर 1055/340 रकबा 0.7650 हैक्टेयर भूमि में किसी भी तरह का कोई रास्ता प्रचलित नहीं है. रास्ते के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही हल्का पटवारी व सरपंच प्रतिनिधि द्वारा दस्तावेजों की कूटरचना की गई, तथा खसरा नम्बर 338 के खातेदार को सदोष लाभ पहुँचाने के लिए षडयन्त्र किया गया, तथा उक्त षडयन्त्र में पटवारी महेश सैनी एवं मोहन काजला एवं सरपंच बृजलाल एवं एक भू–माफिया घासीराम पुत्र हरदेवाराम ग्राम मेलासी द्वारा की गई तथा अपीलार्थी को उक्त व्यक्तियों ने जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित किया। उक्त परिवाद दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की भूमि में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा, उक्त व्यक्तियों ने गलत तरीके से अपीलार्थी की भूमि में हल्का पटवारी व तहसीलदार से मिली भगत कर उपखण्ड अधिकारी से रास्ते के संबंध में आदेश पारित करवाये है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, दिनांक 29.11.2022 को प्रथम बार अपीलार्थी को जानकारी हुई, अपीलार्थी की भूमि में से उसे बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थी के फर्जी हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण कार्यवाही को अन्जाम दिया गया है. इसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 30.11.2022 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 08.12.2022 को उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया, लेकिन आज दिनांक तक उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए मजबूरन अपीलार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी पड़ रही है। इसलिए दिनांक 20.10.2021 से दिनांक 29.11.2022 तक की अवधि को जानकारी के अभाव में मुजरा दिये जाने के पश्चात तथा उसके पश्चात दिनांक 30.11.2022 से आज दिनांक तक कोई कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी द्वारा नहीं करने पर माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए अपील को उपरोक्त कारणों से अन्दर मियाद सुमार किया जाना आवश्यक है। अपील देरी से प्रस्तुत करने का कारण जानकारी का अभाव रहा है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने न तो उन्हे प्रकरण में पक्षकार बनाया है, तथा ना ही किसी प्रकार का सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी किया। इसलिए प्रार्थी को प्रकरण की कोई जानकारी नहीं हो सकी। अन्यथा भी किसी भी क्षेत्राधिकार विहिन आदेश व अवैध आदेश के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विरूद्व न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई मियाद की समय सीमा निर्धारित नहीं है। जब भी जानकारी में आये ऐसे आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्याय हित में प्रार्थी की अपील को अन्दर मियाद सुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक है। अतः मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जानकारी के अभाव में अपीलाधीन दिनांक 20.10.2021 से दिनांक 29.011.2022 तक की अवधि क़ो तथा दिनांक 31.03.2023 की अवधि तक उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उक्त अवधि को मुजरा दिया जाकर प्रार्थी की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 1055/340 रकबा 0.7650 हैक्टेयर भूमि ग्राम बढाढर तहसील धोद (हाल तहसील सीकर ग्रामीण) जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी धोद ने बिना प्रकरण में पक्षकार बनाये उनकी उपरोक्त खातेदारी की भूमि में से रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 से उनके अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे है। इसलिए उन्हे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। न्याय हित में उपखण्ड अधिकारी घोद द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 20.10.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान किया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय हित में अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा उक्त क्षेत्राधिकार विहिन आदेश व शून्य प्रभावी आदेश से प्रार्थी की भूमि में से खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये है। इसलिए उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष जरिये अपील चुनौती दिया जाकर उसे निरस्त करवाया जाना अत्यन्य आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा पारित उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य आदेश तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 20.10.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार धोद, जिला सीकर द्वारा दिनांक 20.10.2021 को प्रस्ताव बाबत प्रचलित सार्वजनिक चालू स्थाई रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ ग्राम भढाढर, तहसील धोद के आराजी खसरा नम्बर 343, 342, 925/347, 1054/340, 1055/340 व 350 कुल किता 6 में से मौके पर चालू स्थाई रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी धोद , जिला सीकर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर ने तहसीलदार धोद के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 20.10.2021 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 343, 342, 925/347, 1054/340, 1055/340 व 350 कुल किता–6 मौके पर सार्वजनिक चालू स्थाई रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 की जानकारी के अभाव में अपीलाधीन दिनांक 20.10.2021 से दिनांक 29.011.2022 तक की अवधि को तथा दिनांक 31.03.2023 की अवधि तक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उक्त अवधि को मुजरा दिया जाकर प्रार्थी की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि भूमि विवादग्रस्त का दिनांक 20.10.2024 को पटवारी हल्का द्वारा रास्ता का प्रस्ताव पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का व तहसीलदार द्वारा बनाया गया है जिसमें उन्होने स्पष्ट रूप से अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि रामगोपाल पुत्र रामदेवा खसरा नम्बर 1055/340 रकबा 0.7650 है0 में 300 वर्ग मीटर स्थित वाके ग्राम भढाढर पटवार मण्डल भढाढर तहसील धोद जिला सीकर का काबिज काश्तकार खातेदार है। उपरोक्त आराजी अपीलार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकारान है, को कोई नोटिस व सूचना जारी नही की और ना ही पटवारी गिरदावर व तहसीलदार धोद द्वारा मौका निरीक्षण करते समय अपीलार्थी काश्तकार, खातेदार को कोई सूचना दी गई बल्कि समस्त कार्यवाही अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पूर्ण पालना किया जाना भी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 पारित करने से पूर्व भूमि विवादग्रस्त के खातेदार अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना या सुनवाई इत्यादि का कोई अवसर नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 न्याय के प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उचित नही ठहराया जा सकता तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 को अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति.संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर